

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 67/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 927(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में

(i) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 8 में, “8418 21 90” के स्थान पर “8418 21 00” पढ़ें।

[फा.सं.354/374/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार